राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक– प.6(12)राज/06/99/पार्ट/25 जयपुर, दिनांकः 3-10-13

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.6(12)राज–6/99–पार्ट/23 दिनांक 13.10.05 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना का विद्यमान खण्ड (क) निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :–

"(क) विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उप केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि0, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0, जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि0, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0, जोधपुर को और जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 से डिपोजिट वर्क के आधार पर सरकारी नहर परियोजनाओं हेतु विद्युत केन्द्र,ग्रिड केन्द्र और उप केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए, सम्बन्धित विभाग को;"

राज्यपाल के आदेश से,

(जे.पी. बुनकर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी/राजस्व मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
7. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम, जयपुर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक,राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर को असाधारण अंक दि0 3-10-13 में प्रकाशनार्थ।
10. राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा), राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
12. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व विभाग
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव